



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2015-आषाढ़ 26, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह के पूर्व मेरा नाम कु. सुषमा अंधारे था. दिनांक 16-05-1978 को मेरा विवाह श्री प्रकाश नारायण लक्कड़ से सम्पन्न होने के उपरांत मेरा परिवर्तित नाम कु. सुषमा अंधारे के स्थान पर श्रीमती प्रतिभा लक्कड़ हो गया है.

अतः भविष्य में मुझे श्रीमती प्रतिभा लक्कड़ के नाम से जाना जावे तथा शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय कार्य भी इसी नाम से किये जावेंगे.

पुराना नाम :
(सुषमा अंधारे)

नया नाम :
(प्रतिभा लक्कड़)
म. नं. 116, विनय नगर सेक्टर-2,
ग्वालियर.
द्वारा-हेमन्त सिरसट (कर सलाहकार)
सोगानी एण्ड कम्पनी,
नया बाजार, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

(197-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, " जागू उर्फ गरबसिंग " जाति गोंड, निवासी पस्तलाई, तहसील आमला, जिला बैतूल के शासकीय अभिलेखों में " जागू " नाम से जाना जाता है जबकि मुझे बचपन से " जागू उर्फ गरबसिंग " के नाम से जाना व पहचाना जाता है. " जागू व गरबसिंग " मेरा ही नाम है मेरे बच्चों के शालेय अभिलेखों में पिता के नाम पर " गरबसिंग " दर्ज है तथा मेरे शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम " जागू " होने से उन्हें अपनी पहचान व अन्य कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसलिये मुझे मेरे अपने पूरे नाम " जागू उर्फ गरबसिंग " के नाम से जाना व पहचाना जावे एवं मेरे नौकरी के शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम " जागू उर्फ गरबसिंग " पढ़ा जावे.

(जागू उर्फ गरबसिंग)
पिता-श्री रायसिंग जाति गोंड
निवासी-पस्तलाई, तहसील आमला,
जिला बैतूल (म.प्र.).

(199-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह के पूर्व कुमारी मीनल पाण्डे पिता श्री अरूण पाण्डे, निवासी-8/68, बसंत कुंज, अरेरा कॉलोनी, भोपाल था. मेरा विवाह दिनांक 27 नवम्बर, 2009 को शहर भोपाल में प्रशांत कुमार मिश्रा पिता स्व. श्री गोविन्दप्रसाद मिश्रा, निवासी-17, आलोक नगर, आधार तल, जबलपुर के साथ हुआ. विवाह के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती मीनल मिश्रा पति प्रशांत कुमार मिश्रा, निवासी-डी-3, शालीमार फ्लाय, पिपल्याहाना, इंदौर हो गया है तथा मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम :

(मीनल पाण्डे)

(200-बी.)

नया नाम :

(मीनल मिश्रा)

पति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा.

नाम परिवर्तन

मैं, गर्वेश भाई पटेल, उम्र 39 वर्ष पिता स्व. श्री दिनेश भाई पटेल, निवासी रजाखेड़ी कमरोनिया चौराहा सागर मेरे पासपोर्ट में गलती से गर्वेश भाई पटेल लिख गया है जो कि गलत है. मेरा सही नाम गर्वेश पटेल है जोकि सही है मेरे आधार कार्ड एवं सभी शासकीय, गैर शासकीय डाक्यूमेंट में मेरा नाम गर्वेश पटेल पढ़ा-लिखा जावे, जोकि यही नाम सही है.

पुराना नाम :

(गर्वेश भाई पटेल)

(201-बी.)

नया नाम :

(गर्वेश पटेल)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, राजकुमार कलार पिता श्री बुद्धसेन कलार के नाम से जाना जाता हूँ एवं मेरे समस्त अभिलेखों में भी राजकुमार कलार दर्ज है. अब मैं, अपना नाम परिवर्तन करके राजकुमार जायसवाल कर लिया हूँ.

आज से मेरे समस्त अभिलेखों में एवं नाम में राजकुमार जायसवाल के नाम से जाना एवं पढ़ा जाय.

पुराना नाम :

(राजकुमार कलार)

(202-बी.)

नया नाम :

(राजकुमार जायसवाल)

ग्राम व पोस्ट मनिकवार थाना मनगवां,
तहसील रायपुरचुलियान, जिला रीवा (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, अमित सिंह पिता श्री अभयराज सिंह, निवासी अशोक बिहार कॉलोनी, सिद्धार्थ नगर, सतना. मेरा नाम अंकसूची एवं समस्त दस्तावेजों में अमित भारती दर्ज है जो कि गलत है. मेरा सही नाम अमित सिंह है. आज दिनांक से मेरे समस्त दस्तावेजों में अमित सिंह लिखा व पढ़ा जाये.

पुराना नाम :

(अमित भारती)

(203-बी.)

नया नाम :

(अमित सिंह)

पिता-श्री अभयराज सिंह,
अशोक बिहार कॉलोनी, सिद्धार्थ नगर, सतना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती मीना सिंह पति स्व. शिव कृष्ण सिंह, खम्हरिया जबलपुर, निवासी यह घोषित करती हूँ कि मेरी पुत्री अदिति सिंह का नाम सभी मार्कशीट व अन्य दस्तावेजों में अदिति सिंह दर्ज है जो सही है. परन्तु नेवी के सर्विस रिकार्ड बुक में मेरी पुत्री अदिति सिंह का घरेलू नाम तनु सिंह दर्ज हो गया है, जो गलत है. अतः नेवी के सर्विस रिकार्ड और डिसचार्ज बुक में मेरी पुत्री का नाम अदिति सिंह दर्ज किया जावे एवं सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अदिति सिंह ही पढ़ा जावे.

मीना सिंह,

पति-स्व. श्री शिव कृष्ण सिंह,
निवासी-एच आईप, 13/13, खम्हरिया स्टेट
जबलपुर (म.प्र.).

(204-बी.)

नाम परिवर्तन

हमने हमारे पुत्र क्षितीज जैन का नाम परिवर्तन कर राजवर्धन जैन कर लिया है. अब से हमारे पुत्र को इसी नाम से जाना जावे.

पिता-दिपक जैन,

माता-नमिता जैन,

पता-98, महावीर नगर इन्दौर (म.प्र.).

(210-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Archana Seth, born on 02-02-1962, D/o of Chimanlal Rangildas Gujar and W/o Shri Hemant Kumar Seth R/o HIG-76, Maa Parvati Nagar, Behind, Mahabali Nagar, Kolar Road, Bhopal-462042, have changed my name from Anita Chimanlal Gujar to Archana Seth for all purposes.

Old Name :

(ANITA CHIMANLAL GUJAR)

New Name :

(ARCHANA SETH)

(205-B.)

CHANGE OF NAME

I, SUSHMITA AGRAWAL D/o Sajan Kumar Agrawal have changed my name from SUSHMITA AGRAWAL to CHARU AGRAWAL vide affidavit date 29-06-2015 before notary R D Sharma.

Old Name :

(SUSHMITA AGRAWAL)

New Name :

(CHARU AGRAWAL)

136, Geeta Colony, Dal Bazar,

Lashkar, Gwalior (M.P.).

(206-B.)

CHANGE OF NAME

I, MOLLY JOSEPH D/o KADAVU THONICKAL PAPPY MATHEW have changed my name after marriage to SARAMMA JOSEPH and now I would be known as SARAMMA JOSEPH.

Old Name :

(MOLLY JOSEPH)

New Name :

(SARAMMA JOSEPH)

W/o Joseph Njarkyatt Abraham,

Add—Pushp Kunj Hospital,

Khandwa Road, Indore (M.P.).

(211-B.)

PUBLIC NOTICE

Know all men that the firm M/s PRIME LIME COMPANY, Cawasji Building, Mohan Talkies Road, Katni [Reg. No. 2113 year 1981-82 Dt. 21-01-1982] formed on 16-09-1981 with two partners Smt. Ram Rani Jauhar & Shri Sunil Jauhar. The firm amended on 01-04-1995 to change some clause, next amended on 01-04-2001 introducing new partners Smt. Kamini Jauhar along with two old partners, next amended on 03-05-2014 on the death of Smt. Ram Rani Jauhar on 02-05-2014 remaining two partners as Shri Sunil Jauhar & Smt. Kamini Jauhar and last amended on 09-03-2015 on death of Shri Sunil Jauhar on 09-03-2015. One new partner Smt. Nehaa Bhalla has been admitted along with old partner Smt. Kamini Jauhar. The constitution of the firm as on 09-03-2015 with two partner Smt. Kamini Jauhar & Smt. Nehaa Bhalla.

For : M/s Prime Lime Company

KAMINI JAUHAR

(Partner).

(207-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स एन. पी. शर्मा, 40 अनुपम नगर, ग्वालियर ने 21-04-2014 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 3 श्री वीरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामचरन लाल शर्मा, निवासी अनुपम नगर ग्वालियर फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं. फर्म से पृथक् हुए पक्षकार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स एन. पी. शर्मा,
रवि शर्मा
(पार्टनर).

(208-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मे. व्यंकटेश फूड इन्डस्ट्रीज अजनिया, जिला छिन्दवाड़ा जो कि एक-एक पंजीयन फर्म हैं. जिसका पंजीयन क्रमांक ज.स. 20/2002-03, दिनांक 22-05-2002 जबलपुर है. उक्त फर्म में चार पार्टनर थे. जो कि (1) राकेश जुनेजा पिता श्री सुभाष चन्द्र जुनेजा, (2) परेश जुनेजा पिता श्री कुन्दनलाल जुनेजा, (3) पाम जुनेजा पिता श्री कुन्दनलाल जुनेजा, (4) गगनदीप जुनेजा पिता श्री हरीश चंद जुनेजा थे. उक्त फर्म में दिनांक 01-04-2006 से संशोधन उपरांत दो पार्टनर- (1) गगनदीप जुनेजा पिता श्री हरीश चंद जुनेजा, (2) राकेश जुनेजा पिता श्री सुभाष चंद जुनेजा स्वेच्छा से अलग हो गये हैं. अतः संशोधन उपरांत उक्त फर्म में अब सिर्फ दो पार्टनर-(1) परेश कुमार जुनेजा पिता श्री कुन्दनलाल जुनेजा एवं (2) पाम जुनेजा पिता श्री कुन्दनलाल जुनेजा शेष बचे हैं जिनका साझेदारी प्रतिशत संशोधन उपरांत 50 प्रतिशत प्रत्येक हैं.

अतः सर्व-साधारण को सूचना हेतु आम सूचना जारी.

Venkatesh Food Industries

परेश जुनेजा
(Partner).

(209-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना ब्यावरा, जिला राजगढ़

प्र.क्र. 01/सी-113/(1)/2014-15.

ब्यावरा, दिनांक 08 जून, 2015

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला राजगढ़ के समक्ष.

यह कि आवेदक अजीज हुसेन मोहम्मद हुसेन, निवासी ब्यावरा ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र 20 जुलाई, 2015 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम : "दाऊदी बोहरा जमात ब्यावरा".
चल सम्पत्ति : रु. 10,000/- (दस हजार रुपये पंजाब नेशनल बैंक के करंट खाते में जमा).
अचल सम्पत्ति : निरंक.

(379)

अंजली शाह,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक-न्यास, ग्वालियर

प्र.क्र. 04/2014-15/बी-113(1).

ग्वालियर, दिनांक 03 जुलाई, 2015

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) देखिए]

विद्यासागर ढोडी पुत्र स्व. श्री बृजलाल ढोडी, निवासी म. नं. 11, शितोले साहब का बाड़ा जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर अध्यक्ष श्री गुरु सेवा, गौसंरक्षण एवं जन-कल्याण न्यास, श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर जनकगंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 11 अगस्त, 2015 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 11 अगस्त, 2015 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता : श्री गुरु सेवा, गौसंरक्षण एवं जन-कल्याण न्यास, श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर जनकगंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).
2. चल सम्पत्ति : प्रारम्भिक निधि के रूप में रुपये 21,000/- (इक्कीस हजार रुपये) नगद राशि.
3. अचल सम्पत्ति : भूमि सर्वे क्र. 533/मिन-2 रकबा 0.031 (जीरो दशमलव जीरो तीन एक) हैक्टेयर ग्राम ओड़पुरा पटवारी हल्का नं. 39 राजस्व निरीक्षक मण्डल कुलैथ, तहसील व जिला ग्वालियर.

महीप तेजस्वी,
पंजीयक.

(382)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल

प्र.क्र. 10/बी-113/14-15.

भोपाल, दिनांक 17 जून, 2015

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि "ओम नमो नारायण पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट" द्वारा श्री धनजी बाई मसकाना आ. श्री आनन्द जी भाई मसकान, नि. एच. आई. जी. 500 ई-7, अरेरा कॉलोनी, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 17 जुलाई, 2015 को विचार किया जायेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति एवं सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम : "ओम नमो नारायण पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट"
2. अचल सम्पत्ति : निल.
3. चल सम्पत्ति : 51,000/-

सुनील राज नायर,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(394)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल, बड़वानी

समस्त पशु स्वामियों एवं पशु चरवाहों को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986 के नियम-4 के अन्तर्गत आने वाले निम्नांकित आरक्षित वन क्षेत्रों में आने वाले वृक्षारोपण क्षेत्र दिनांक 1 जुलाई, 2015 से आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की चराई के लिये प्रतिबंधित घोषित किये जाते हैं जो पशु स्वामी, चरवाहे इन वन क्षेत्रों में पशु/मवेशी चराते हुए पाये जावेंगे उनके विरुद्ध वन नियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी:—

अ. क्र.	परिक्षेत्र	चराई से प्रतिबंधित स्थल	कक्ष क्रमांक	वर्ष	हैक्टर में
1	2	3	4	5	6
1.	बोकराटा	बिगड़े वनों का सुधार, बोकराटा	1247	2009-10	20.00
2.	—,—	बिगड़े वनों का सुधार, हाटबावडी	1274	—,—	20.00
3.	—,—	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	1259	—,—	50.00
4.	—,—	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1236	—,—	40.00
5.	—,—	बिगड़े वनों का सुधार, पीपरकुण्ड	1219	—,—	50.00
6.	—,—	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1231	—,—	50.00
7.	—,—	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1232	—,—	30.00
8.	—,—	बिगड़े वनों का सुधार, भूरवानी	1190	—,—	50.00
9.	—,—	बिगड़े वनों का सुधार, देवगढ	1246	—,—	50.00
10.	—,—	बिगड़े वनों का सुधार, कामोद	1175	—,—	65.00
11.	—,—	बिगड़े वनों का सुधार, कामोद	1175	—,—	75.00
12.	—,—	बिगड़े वनों का सुधार, रोषमाल	1261	—,—	70.00
13.	—,—	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1236	—,—	50.00
14.	—,—	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1236	—,—	100.00
15.	—,—	बिगड़े वनों का सुधार, भानिजकुण्ड	1261	—,—	40.00
16.	पाटी	बिगड़े वनों में सुधार, बिलवारा	1172	2010-11	51.15
17.	—,—	बिगड़े वनों में सुधार, मान्याखेत	1151	—,—	45.89
18.	—,—	बिगड़े वनों में सुधार, सागबारा	1157	—,—	69.81
19.	—,—	बिगड़े वनों में सुधार, मेंढकीमाल	1162	—,—	51.76
20.	—,—	उर्जावन एवं चारागाह विकास, अंजराडा/मगरपाटी	83	—,—	20.00
21.	—,—	उर्जावन एवं चारागाह विकास, कुली घोंघसा	127	—,—	20.00
22.	—,—	भूमि संरक्षण योजनाएं, मगरपाटी	88	—,—	50.00
23.	राजपुर	मिश्रित रोपण, बोलबलवाडी	1004	—,—	25.00
24.	—,—	उर्जावन एवं चारागाह विकास, दानौद	27	—,—	10.00
25.	—,—	ओंकारेश्वर निधि, कुसमरी	1003	—,—	28.00

1	2	3	4	5	6
26.	राजपुर	ओंकारेश्वर निधि, बोबलवाडी	1004	2010-11	19.00
27.	-,,-	ओंकारेश्वर निधि, ठीकरी	993	-,,-	23.00
28.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, दानौद	1021	-,,-	30.00
29.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, खडकी	P-329	-,,-	50.00
30.	-,,-	चारागाह विकास, उपला	31	-,,-	59.80
31.	-,,-	चारागाह विकास, मोरानी	36	-,,-	34.71
32.	-,,-	चारागाह विकास, मण्डवाडा	15	-,,-	57.32
33.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, अंजदी	1	-,,-	35.00
34.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, अंजदी	8	-,,-	50.00
35.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, अंजदी	8	-,,-	50.00
36.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, सगाईमोडी	15	-,,-	40.00
37.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, दानौद	27	-,,-	30.00
38.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, खडकी	329	-,,-	50.00
39.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, बोबलवाडी	1004	-,,-	25.00
40.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, जलगोन	1003	-,,-	45.00
41.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, बोबलवाडी	1004	-,,-	55.00
42.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, दानौद	27	-,,-	10.00
43.	-,,-	चारागाह विकास, निहाली	14	-,,-	64.00
44.	-,,-	चारागाह विकास, उपला	31	-,,-	77.49
45.	-,,-	चारागाह विकास, उपला	38	-,,-	76.96
46.	-,,-	वृक्षारोपण कार्य, बांदरकच्छ	P-321	-,,-	30.00
47.	-,,-	वृक्षारोपण कार्य, बांदरकच्छ	P-321	-,,-	45.00
48.	-,,-	वृक्षारोपण कार्य, बघाड़ी	P-322	-,,-	65.00
49.	-,,-	वृक्षारोपण कार्य, बघाड़ी	P-323	-,,-	50.00
50.	-,,-	वृक्षारोपण कार्य, दानौद	27	-,,-	50.00
51.	-,,-	वृक्षारोपण कार्य, चकेरी	P-319	-,,-	10.39
52.	बोकराटा	बिगड़े वनों में सुधार, बेडीफरतला	1178	-,,-	69.71
53.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, बन	1214	-,,-	49.78
54.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, रामगढ़	1259	-,,-	37.74
55.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, देवगढ़	1240	-,,-	47.93
56.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, बोरकुंड	1187	-,,-	70.80
57.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, मोरानी	1244	-,,-	71.43
58.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, झरार	1229	-,,-	54.53
59.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, मतरकुंड	1226	-,,-	33.91
60.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, हाटबावडी	1261	-,,-	58.88

1	2	3	4	5	6
61.	बोकराटा	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, गारा	269	2010-11	10.00
62.	-,,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, हरला	203	-,,-	10.00
63.	-,,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, रोसर	182	-,,-	10.00
64.	-,,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, पिपरकुंड	231	-,,-	10.00
65.	-,,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, चोकी	211	-,,-	10.00
66.	-,,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, हाटबावडी	279	-,,-	10.00
67.	-,,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, गोलपाटीवाडी	259	-,,-	10.00
68.	-,,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, शिवनी	226	-,,-	10.00
69.	-,,-	आर. डी. एफ., बेडीफरतला	183/2	-,,-	46.74
70.	-,,-	आर. डी. एफ., बोरकुंड	192/2	-,,-	47.75
71.	-,,-	आर. डी. एफ., मतरकुंड	231/2	-,,-	42.49
72.	-,,-	आर. डी. एफ., मोरानी	249/2	-,,-	22.50
73.	-,,-	आर. डी. एफ., रामगढ	264/2	-,,-	49.10
74.	बड़वानी	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, धाबाबावडी	1039	-,,-	10.00
75.	-,,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, बावनगजा	1066	-,,-	10.00
76.	-,,-	भू-जल संरक्षण, पाल्या	91	-,,-	48.34
77.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बलखड़	87	-,,-	42.53
78.	-,,-	भू-जल संरक्षण, अवल्दा	90	-,,-	57.99
79.	-,,-	चारागाह विकास, बावनगजा	72 II	-,,-	79.98
80.	-,,-	चारागाह विकास, मरदई	295 III	-,,-	51.33
81.	-,,-	चारागाह विकास, केली	284 II	-,,-	56.17
82.	-,,-	चारागाह विकास, अंबापानी	60 II	-,,-	47.61
83.	-,,-	चारागाह विकास, अतरसंभा	67	-,,-	65.86
84.	-,,-	चारागाह विकास, सजवानी	56	-,,-	56.67
85.	-,,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	41	-,,-	54.82
86.	-,,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,,-	61.21
87.	पाटी	आर. डी. एफ., बिलवारा	177/3	2011-12	60.43
88.	-,,-	आर. डी. एफ., मान्या खेत	156/2	-,,-	56.57
89.	-,,-	आर. डी. एफ., मेढकीमाल	167/2	-,,-	57.57
90.	-,,-	आर. डी. एफ., सागबारा	162/2	-,,-	51.34
91.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	115	-,,-	46.91
92.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कुली	131	-,,-	60.70

1	2	3	4	5	6
93.	पाटी	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	108	2011-12	56.05
94.	-,,-	भू-जल संरक्षण, नलती	103	-,,-	58.84
95.	-,,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	136	-,,-	45.47
96.	-,,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	138	-,,-	45.02
97.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	142	-,,-	41.56
98.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	144	-,,-	60.65
99.	-,,-	चारागाह विकास, लाईझापी	119	-,,-	67.66
100.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, मान्याखेत	1151	-,,-	50.00
101.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, सागबारा	1158	-,,-	50.00
102.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, अंजराडा/मगरपाटी	83	-,,-	10.00
103.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, कुली/घोंघसा	127	-,,-	20.00
104.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, गारा	269	-,,-	10.00
105.	बोकराटा	आर. डी. एफ., बन	219/2	2011-12	42.50
106.	-,,-	आर. डी. एफ., हाटबावड़ी	266/2	-,,-	55.02
107.	-,,-	आर. डी. एफ., झरार	234/2	-,,-	37.90
108.	-,,-	आर. डी. एफ., देवगढ	245/2	-,,-	50.33
109.	-,,-	चारागाह विकास, गारा	269	-,,-	39.81
110.	-,,-	चारागाह विकास, उबादगढ	216	-,,-	32.68
111.	-,,-	चारागाह विकास, जाई	204	-,,-	50.93
112.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, हरला	103	-,,-	10.00
113.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, गोलपाटीबाडी	259	-,,-	10.00
114.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, पोखल्या	279	-,,-	10.00
115.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, उबादगढ पूर्व	211	-,,-	10.00
116.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, पीपरकुंड	231	-,,-	10.00
117.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, उबादगढ पश्चिम	226	-,,-	10.00
118.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बेडीफरतला	183	-,,-	36.49
119.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बोरकुण्ड	192	-,,-	46.92
120.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बन	219	-,,-	57.60
121.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, झरार	234	-,,-	64.75
122.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मतरकुंड	231	-,,-	55.66
123.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, देवगढ	245	-,,-	43.77

1	2	3	4	5	6
124.	बोकराटा	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	249	2011-12	23.73
125.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, रामगढ़	264	-,-	58.23
126.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, हाटबावडी	266	-,-	55.00
127.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, बेडीफरतला	183	-,-	50.31
128.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, बोरकुण्ड	220	-,-	28.99
129.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, बन	219	-,-	66.72
130.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, झरार	234	-,-	49.81
131.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मतरकुण्ड	231	-,-	74.89
132.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, देवगढ़	245	-,-	43.73
133.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	249	-,-	57.22
134.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, रामगढ़	264	-,-	41.28
135.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, हाटबावडी	266	-,-	54.92
136.	-,-	चारागाह विकास, जाई	206	-,-	72.74
137.	-,-	चारागाह विकास, उबादगढ़ पूर्व	216	-,-	45.75
138.	-,-	चारागाह विकास, रोषमाल	270	-,-	67.82
139.	बड़वानी	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,-	10.00
140.	-,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, बावनगजा	72	-,-	10.00
141.	-,-	भू-जल संरक्षण, बलखड़	87	-,-	72.17
142.	-,-	भू-जल संरक्षण, अवल्दा	90	-,-	37.71
143.	-,-	भू-जल संरक्षण, पाल्या	91	-,-	63.22
144.	-,-	चारागाह विकास, गोठानिया	41	-,-	84.41
145.	-,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,-	62.11
146.	-,-	चारागाह विकास, सजवानी	56	-,-	41.12
147.	-,-	चारागाह विकास, बावनगजा	72	-,-	102.57
148.	-,-	चारागाह विकास, अंबापानी	60	-,-	50.82
149.	-,-	चारागाह विकास, अतरसंभा	67	-,-	65.84
150.	-,-	चारागाह विकास, केली	285	-,-	59.43
151.	-,-	चारागाह विकास, मरदई	296	-,-	63.17
152.	-,-	चारागाह विकास, लाईझापी	119	-,-	51.03
153.	-,-	चारागाह विकास, जाई	204	-,-	49.47
154.	-,-	चारागाह विकास, उबादगढ़	216	-,-	29.65

1	2	3	4	5	6
155.	बड़वानी	चारागाह विकास, गारा	269	2011-12	65.81
156.	-,-	चारागाह विकास, नागलवाड़ी	36	-,-	83.61
157.	-,-	चारागाह विकास, खडक्यामऊ	31	-,-	48.12
158.	-,-	चारागाह विकास, मण्डवाडा	15	-,-	55.39
159.	-,-	भू-जल संरक्षण, बलखड़	87	-,-	50.79
160.	-,-	भू-जल संरक्षण, अवल्दा	90	-,-	40.01
161.	-,-	भू-जल संरक्षण, पाल्या	91	-,-	53.30
162.	-,-	चारागाह विकास, केली	285	-,-	32.70
			292		28.03
163.	-,-	चारागाह विकास, मरदई	296	-,-	18.96
			297		34.14
164.	-,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	42	-,-	44.54
165.	-,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,-	61.82
166.	-,-	चारागाह विकास, सजवानी	56	-,-	56.62
167.	-,-	चारागाह विकास, बावनगजा	73	-,-	76.56
168.	-,-	चारागाह विकास, अंबापानी	60	-,-	64.80
169.	पाटी	बिगड़े वनों का सुधार, बिलबारा	177	2012-13	68.34
170.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	156	-,-	44.98
171.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	167	-,-	41.96
172.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	162	-,-	44.02
173.	-,-	भू-जल संरक्षण, नलती	103	-,-	51.98
174.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेड़ी	108	-,-	51.83
175.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेड़ी	115	-,-	47.75
176.	-,-	भू-जल संरक्षण, कूली	131	-,-	50.46
177.	-,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	136	-,-	45.23
178.	-,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	138	-,-	54.26
179.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	142	-,-	55.85
180.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	146	-,-	46.73
181.	-,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, रोसर	182	-,-	10.00
182.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, बिलबारा	177	2013-14	57.66
183.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	156	-,-	40.98
184.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	167	-,-	52.56

1	2	3	4	5	6
185.	पाटी	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	163	2013-14	47.04
186.	-,-	भू-जल संरक्षण, नलती	103	-,-	34.59
187.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेड़ी	108	-,-	36.73
188.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेड़ी	115	-,-	57.39
189.	-,-	भू-जल संरक्षण, कूली	131	-,-	58.79
190.	-,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	136	-,-	50.24
191.	-,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	148	-,-	58.09
192.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	138	-,-	49.20
193.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	146	-,-	41.12
194.	-,-	चारागाह विकास, अंजराड़ा	74	-,-	59.21
195.	-,-	चारागाह विकास, लाईझापी	119	-,-	67.40
196.	बड़वानी	भू-जल संरक्षण, बलखड़	87	2014-15	50.29
197.	-,-	भू-जल संरक्षण, भामटा	92	-,-	56.86
198.	-,-	चारागाह विकास, खमसजवानी	42	-,-	63.89
199.	-,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,-	64.86
200.	-,-	चारागाह विकास, चूनाभट्टी	58	-,-	62.13
201.	-,-	चारागाह विकास, बावनगजा	73	-,-	84.54
202.	-,-	चारागाह विकास, अम्बापानी	60	-,-	61.91
203.	-,-	चारागाह विकास, बोरी	286	-,-	39.06
204.	-,-	चारागाह विकास, कालीकण्डी	298	-,-	52.17
205.	राजपुर	चारागाह विकास, मण्डवाडी	14	-,-	42.48
206.	-,-	चारागाह विकास, धमोडी	36	-,-	55.44
207.	-,-	चारागाह विकास, सगाईमोड़ी	31	-,-	61.89
208.	-,-	वृक्षारोपण, दानोद	26	-,-	50.00
209.	-,-	वृक्षारोपण, सगाईमोड़ी	31	-,-	50.00
210.	-,-	वृक्षारोपण, टाकली	11	-,-	50.00
211.	-,-	वृक्षारोपण, टाकली	11	-,-	12.88
212.	-,-	वृक्षारोपण, रोझानी	21	-,-	40.00
213.	-,-	चारागाह विकास, सामरतलाई	2	-,-	30.00
214.	पाटी	चारागाह विकास, लाईझापी	120	-,-	47.77
215.	-,-	चारागाह विकास, अंजराड़ा	74	-,-	67.67

1	2	3	4	5	6
216.	पाटी	भू-जल संरक्षण, बीजासन	95	2014-15	39.81
217.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	105	-,,-	34.07
218.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	114	-,,-	58.27
219.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	115	-,,-	49.05
220.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कूली	131	-,,-	56.10
221.	-,,-	भू-जल संरक्षण, भादल	146	-,,-	68.08
222.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	148	-,,-	55.91
223.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	136	-,,-	65.31
224.	-,,-	भू-जल संरक्षण, खेरवानी	138	-,,-	37.59
225.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	163	-,,-	88.78
226.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बिलबारा	177	-,,-	37.04
227.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	156	-,,-	45.83
228.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	167	-,,-	56.91
229.	बोकराटा	चारागाह विकास, उबादगढ	206	-,,-	57.20
230.	-,,-	चारागाह विकास, पिपरकूण्ड	216	-,,-	89.86
231.	-,,-	चारागाह विकास, गारा	270	-,,-	43.11
232.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बेडीफरतला	184	-,,-	39.86
233.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बोरकुण्ड	260	-,,-	60.68
234.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बन	223	-,,-	48.65
235.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, झरार	237	-,,-	53.93
236.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मतरकुण्ड	231	-,,-	58.65
237.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, देवगढ़	245	-,,-	43.44
238.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	249	-,,-	59.74
239.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रामगढ़	264	-,,-	40.28
240.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, हाटबावड़ी	278	-,,-	54.91

बृजेन्द्र झा,
वनमण्डल अधिकारी.

(380)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

महिला कार्मिक सहकारी संस्था मर्या., खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1115, दिनांक 25 फरवरी, 1997 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1099, दिनांक 27 जुलाई, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 05 जून, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 05 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(375)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर

सागर, दिनांक 03 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/701.—मछुआ सहकारी समिति मर्या., खैराना, विकासखण्ड रेहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 787, दिनांक 10 सितम्बर, 2001 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2872, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एन. के. खरे, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, रेहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (म.प्र.) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मछुआ सहकारी समिति मर्या., खैराना, विकासखण्ड रेहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 787, दिनांक 10 सितम्बर, 2001 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाँडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. जैन,
सहायक-पंजीयक.

(376)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 29 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उप-नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महाकालपुरा	1148/28-02-2003	1287/25-08-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामला	1147/28-02-2003	1289/25-08-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उपनियम-57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचन-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदनुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2015 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

जी. एस. कनेश,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(377)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2015-आषाढ़ 26, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील ईसागढ़ (अशोकनगर), गुन्नौर, पवई (पन्ना), रेहली, राहतगढ़, मालथोन (सागर), सिरमोर, हुजूर (रीवा), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), पाली, मानपुर (उमरिया), गोपबदनास, सिंहावल, मझोली, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), मंदसौर, सुवासराटप्पा, श्यामगढ़, सीतामऊ, धुन्धड़का, कयामपुर (मंदसौर), जाबरा, सैलाना, बाजना, पिपलौदा (रतमाल), कट्टीवाड़ा, सोण्डवा, उदयगढ़, चं. शेखर, आ. नगर (अलीराजपुर), गोहरगंज, बरेली, बाड़ी (रायसेन), सीहोरा, कुन्डम (जबलपुर), निवास, नारायणगंज (मण्डला), शाहपुरा (डिण्डोरी), सोंसर, पांढुर्ना (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील पिछोर, बदरवास (शिवपुरी), चन्देरी (अशोकनगर), अजयगढ़, पन्ना, शाहनगर (पन्ना), बीना, बंडा, सागर, देवरी, गढ़ाकोटा, केसली, शाहगढ़ (सागर), त्योंथर, मऊगंज, हनुमना, गुढ़ा (रीवा), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), मानपुर, मल्हारगढ़, गरोठ, संजीत (मंदसौर), आलोट, रतलाम (रतलाम), जोवट, अलीराजपुर (अलीराजपुर), बुरहानपुर, नेपानगर (बुरहानपुर), सिरोंज, कुरवाई, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), बैरसिया, हुजूर (भोपाल), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन), मुल्ताई (बैतूल), जबलपुर (जबलपुर), बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी (मण्डला), छिन्दवाड़ा, चौरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील सेवड़ा (दतिया), खनियाधाना, कोलारस (शिवपुरी), मुंगावली, अशोकनगर (अशोकनगर), रायपुरकर्चुलियान (रीवा), लटेरी, बासोदा, नटेरन, गुलाबगंज (विदिशा), शाहपुरा, चिचोली, बैतूल, आमला (बैतूल), पाटन (जबलपुर), परासिया, अमरवाड़ा, बिछुआ (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगांव, (ग्वालियर), दतिया, भाण्डेर (दतिया), शिवपुरी, नरवर, करैरा, पोहरी (शिवपुरी), खुरई (सागर), खकनार (बुरहानपुर), भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, आठनेर (बैतूल), मझोली (जबलपुर), डिण्डोरी, बजाग (डिण्डोरी), जुन्नारदेव, तामिया, हरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—

3. बोनी.—

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला झाबुआ, धार, बुरहानपुर, होशंगाबाद में फसल गेहूँ, चना व कटनी में तुअर, मसूर, चना व पन्ना, सागर, उज्जैन, इन्दौर, खरगौन, सीहोर व बैतूल में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, शहडोल, उमरिया, शाजापुर, विदिशा, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, तुअर, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	82.0				
2. कराहल	54.0				
3. विजयपुर	76.0				
*जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूंगमोठ, तुअर, मूंगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	79.0				
2. डबरा	78.9				
3. भितरवार	70.0				
4. घाटीगांव	99.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, सरसों समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	40.0				
2. दतिया	55.0				
3. भाण्डेर	69.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	88.0				
2. पिछोर	30.0				
3. खनियाधाना	51.0				
4. नरवर	113.4				
5. करैरा	57.2				
6. कोलारस	49.0				
7. पोहरी	85.0				
8. बदरवास	30.0				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	37.0		4. (1) उड़द, चना अधिक. सोयाबीन, गन्ना, गेहूँ कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	15.0		(2) ..		
3. अशोकनगर	42.0				
4. चन्देरी	33.0				
5. शादौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राधोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुश नगर	..		4. (1) तुअर, जौ अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्स्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	33.0		4. (1) मूंग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	33.0		(2) ..		
3. गुन्नौर	13.0				
4. पवई	17.0				
5. शाहनगर	21.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	23.6		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	54.1		(2) ..		
3. बण्डा	24.6				
4. सागर	30.2				
5. रेहली	13.3				
6. देवरी	27.0				
7. गढ़कोटा	20.0				
8. राहतगढ़	6.0				
9. केसली	26.0				
10. मालथोन	8.1				
11. शाहगढ़	18.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अधिक. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	20.0				
2. सिरमौर	13.4				
3. मऊगंज	19.0				
4. हनुमना	18.2				
5. हजूर	15.5				
6. गुढ़	19.4				
7. रायपुरकर्चुलियान	36.0				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, गेहूँ, चना, कोदों-कुटकी, मक्का, राई-सरसों, तुअर, मसूर, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना अधिक. राहर, गेहूँ कम. अलसी, राई-सरसों, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	12.4				
2. अनूपपुर	3.6				
3. कोतमा	2.4				
4. पुष्पराजगढ़	20.6				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, अरहर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी अधिक. सोयाबीन कम. तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	22.2				
2. पाली	11.0				
3. मानपुर	17.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	10.2		4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	13.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	11.8				
4. कुसमी	9.2				
5. चुरहट	7.2				
6. रामपुरनैकिन	6.6				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) चना, गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	5.2		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	31.0		(2) ..		
3. मल्हारगढ़	21.0				
4. गरोठ	19.2				
5. मन्दासौर	11.0				
6. श्यामगढ़	7.0				
7. सीतामऊ	7.2				
8. धुन्धड़का	5.0				
9. संजीत	33.0				
10. कयामपुर	7.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना, मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..		
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	13.0		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	34.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	5.0				
4. बाजना	2.0				
5. पिपलौदा	7.0				
6. रतलाम	24.6				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..		
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. रबी फसल गेहूँ, चना की फसल कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना कम. मक्का समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थानदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	19.0				
2. अलीराजपुर	20.2				
3. कट्टीवाड़ा	5.0				
4. सोण्डवा	7.4				
5. उदयगढ़	4.3				
6. च. शेखर आ. नगर	0.5				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. रबी फसल गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ...	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. ..	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	32.0		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	67.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	29.0				
*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचौर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	45.0		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	34.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	32.4				
4. बासौदा	38.6				
5. नटेरन	39.0				
6. विदिशा	28.0				
7. गुलाबगंज	35.0				
8. ग्यारसपुर	28.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	20.0		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तुअर, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	29.3		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. रायसेन	18.2		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर अधिक. चना, मसूर, लाख, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	23.2		(2) ..		
3. बेगमगंज	19.0				
4. गौहरगंज	14.0				
5. बरेली	16.0				
6. सिलवानी	20.4				
7. बाड़ी	15.0				
8. उदयपुरा	29.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	63.4		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	60.4		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. शाहपुर	41.2				
4. चिचोली	51.6				
5. बैतूल	38.4				
6. मुलताई	30.0				
7. आठनेर	64.0				
8. आमला	40.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों गेहूँ, चना, की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) चना, तुअर, मटर अधिक. मसूर कम. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
*जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	14.2		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	37.6		(2) ..		
3. जबलपुर	25.3				
4. मझौली	92.4				
5. कुण्डम	16.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. तुअर, मसूर, चना, एवं अन्य रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों गेहूँ, जौ, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. सोयाबीन, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	(2) ..		
3. नरसिंहपुर			
4. गोटेगांव			
5. तेन्दूखेड़ा			
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	16.0	..	4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	19.0	..			
3. नैनपुर	28.2	..			
4. मण्डला	33.6	..			
5. घुघरी	18.8	..			
6. नारायणगंज	15.8	..			
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2.	3.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	65.2	..	4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर कोदों-कुटकी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	72.3	..			
3. शाहपुरा	4.6	..			
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	34.0	..	4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	58.2	..			
3. परासिया	50.0	..			
4. जामई (तामिया)	108.9	..			
5. सोंसर	4.6	..			
6. पांडुर्णा	6.8	..			
7. अमरवाड़ा	39.2	..			
8. चौरई	24.2	..			
9. बिछुआ	45.0	..			
10. हरई	55.4	..			
11. मोहखेड़ा	29.2	..			
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, मूंगफली अधिक. ज्वार, कोदों- कुटकी, गेहूँ, सोयाबीन, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों कम. तिल, सन, चना समान. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी			
3. लखनादौन			
4. बरघाट			
5. उरई			
6. घंसौर			
7. घनोरा			
8. छपारा			
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	4. (1) .. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी			
3. बैहर			
4. वारासिवनी			
5. कटंगी			
6. किरनापुर			

टीप.— *जिला भिण्ड, गुना, देवास, बड़वानी, राजगढ़, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

राजीव रंजन,
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(378)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.